

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक

06 जनवरी, 2015

विषय:-**किसी उद्यमी की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसों के पक्ष में संपत्ति का नामांतरण किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 को संपन्न उद्योग बन्धु की बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि किसी उद्यमी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसों के पक्ष में संपत्ति का नामांतरण किये जाने के संबंध में विलेख एवं स्टाम्प शुल्क आदि की स्पष्टता न होने के कारण उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है।

2- उपरोक्त के क्रम में यह अनुरोध है कि उद्यमी की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसों के पक्ष में नामांतरण का विलेख रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुरूप अनिवार्य रूप से निबन्धनीय विलेख नहीं है तथा इस पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता नहीं है। अतः ऐसी परिस्थितियों में यह उचित होगा कि जिस विभाग अथवा उसकी किसी संस्था अथवा संगठन द्वारा उस परिसंपत्ति का आवंटन किया गया है, उद्यमी के वारिसों द्वारा उसी संस्था को वारिसान प्रमाण-पत्र के साथ नामांतरण हेतु आवंटन करने पर अधिकारिक नामांतरण पत्र जारी कर दिया जाए।

3- मुझे आशा है कि इस कार्यवाही से उद्यमियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध, निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 2- निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- श्री अतुल सेठ, राज्य महासचिव, प्रादेशिक इण्डस्ट्रीज संगठन, जे-24 पनकी साइड नं-3, कानपुर।
- 5- श्री मनमोन अग्रवाल, अध्यक्ष, लखनऊ चैप्टर, आई0आई0ए0, डी0आई0सी0 भवन, इण्डस्ट्रियल एरिया, तालकटोरा, लखनऊ-226011
- 6- श्री आलोक शुक्ला, स्टेट हेड, सी0आई0ए0, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in/>